ले जाया जाए। इससे बैद्यनाथ धाम जाने में आसानी होगी। वह एक तीर्थ गाह है और एक जियारतगाह है। यह कोई पचपन किलो-मीटर के करीब की दूरी है। औद्योगिक नुक्तेनिगाह से यह इलाका बहुत ही पसमान्दा है। रेल गाड़ी वहां जाने से हर तरह की वहां सहूलियत पहुंचेगी। इसका सर्वे वगैरह सब हो चुका है।

हमारे क्षेत्र में कुल चार ऐसे अंचल है। दो तो हमारे क्षेत्र में है और दो श्री भागवत झा आजाद साहब के क्षेत्र में पड़ते है। इन चारों अंचलों का रकवा एक सौ तीस चालीस मुरब्बा मील का होगा। वहां पर जो डकैतियों का सिलसिला शुरू हुआ है वह आज भी जारी है। इसका तजकरा मैंने पंद्रह मार्च को भी सदन में किया था। वह सिलसिला अभी तक जारी है। मैं आपके सामने उन डकैतियों के के ग्रामों के नामों को वाजह कर देना चाहता हूं। ताज्जुब और रोना तो इस बात का है कि तमाम सबूत होने के बावजूद भी इन डकैतो को पकड़ा नही जाता है बल्कि जिस किसी के घर में डकैती पड़ती है, उसी को डाट फटकार भी दिया जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस और गुंडों के बीच सांठगांठ है। अंचल वाइज डकैतियों का विवरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अचल पतरयामा, संथाल परगना---लैया केवा, परवत्ता, महेशपुर, रंसी, डेरमा, कुमराहकोल, जमनी कोल, बादये, चिलरा, रामपुर, बेलाकित्ता, कैथिया, कुरियाना राहा, विशम्बर चक, शाहपुर बेलडिहा। अंचल महगामा, जिला संथाल परगना--- नारायणपुर महानी, रोकु चक, विश्वास खानी, नारायणपुर, सिमतपुर, रनबैहार, नया नगर, लसकरी चक, गोरगांवा, गड़ही, विरनिया। अंचल सनोला, जिला भागलपुर-चकमझा, करहरिया, गदिया चक, बनियाडीह ---

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Saminuddin, you can continue on Monday. Now, we go to the Private Members' Legislative Business.

श्री समीनुद्दीन : अच्छी बात है।

---

**15.35 hrs.**

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### SIXTH REPORT

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara): Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 23rd July, 1980."

MR DEPUTY-SPEAKER Motion moved:

> "That this House do agree with the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 23rd July, 1980."

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव में,--

"महमत है" के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाय :

"इस भेद के साथ सहमत है कि श्री राम विलास पासवान के (एक) संविधान (संशोधन) विधयक, 1980 (अनुच्छेद 341 का प्रतिस्थापन) और (दो) भूख से मृत्यु (पूर्वाधानी उपाय और उत्तरदायित्व) विधेयक, 1980 के वर्गीकरण के प्रश्न को समिति को उक्त विधेयकों के सम्बन्ध में उसकी सिफारिश पर पुन-विचार किये जाने के लिये वापस भेजा जाये।"

[श्री राम विलास पासवान]

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है, मैं इन दोनों बिलों के सम्बंध में आपसे मिला था। बिलों के कैटेगराइजेशन के सम्बंध में मैं खेद के साथ यह कहना चाहता हूं कि इसके पहले मेरा एक बिल था, जिस पर हमने मांग की थी कि जो नौजवान लोग हैं, उनके ऊपर से उम्र की सीमा को खत्म किया जाये, या तो सरकार राइट टू जाब दे, नहीं तो अन-एम्पलायमेंट एलाउंस दे और अगर अनएम्प्लायमेंट एलांउंस भी नहीं दे सकती है तो उस पर जो उम्र की सीमा लगी है, कि 25 साल तक वह जवान रहेगा, 26वें साल में बूढ़ा हो जायेगा, उसको खत्म कर दिया जाये। अगर 50 साल में भी वह नौकरी में आना चाहे, तो उसे नौकरी में लिया जायेगा।

मुझे दुःख है कि उस बिल को भी "बी" केटेगरी में डाल दिया गया।

इसके अलावा मेरा एक संविधान संशोधन विधेयक यह है, जितने भी माननीय सदस्य यहां हैं, सब लोग इसकी भावना के साथ जुड़े हुए हैं, इस बिल का मुख्य उद्देश्य, मंशा, यह है कि जो एक स्टेट में शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज मे है, अगर वह दूसरी जगह जाता है, दूसरी स्टेट में जाता है तो वहां वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूची में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर बिहार में बहुत अनुसूचित जाति के लोग हैं। जैसे मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूं, लेकिन मेरी ही जाति का कोई दूसरा आदमी यदि दिल्ली में आकर दिल्ली प्रशासन में नौकरी करना चाहे तो वह शिड्यूल्ड कास्ट की सूची में नहीं आता है। यह सारे देश में सब जगह इस तरह से चल रहा है।

अभी लास्ट टाइम एक शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज आर्डर अमैंडमेंट बिल 1978 में आया था गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया था। इस सदन में उस पर बहुत विचार हुआ और अन्त में उसको ज्वायन्ट कमेटी में रैफर किया गया। यह किसी एक पक्ष का मामला नहीं था, बिल्कुल नान-कंट्रोवर्शियल टाइप का बिल्कुल इन्नोसेंट बिल था, जिसमें तमाम सदस्यों की भावना जुड़ी हुई है। तो यह जो भेदभाव बरता गया है, मैं चाहता था, और मैं आपसे भी मिला था और मैंने कमेटी में भी कहा था कि इस कमेटी को उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, इसे हाउस में डिस्कशन के लिये लाया जाना चाहिये, इसे "ए" कैटेगरी में रखा जाना चाहिये लेकिन अफसोस है कि इतना महत्वपूर्ण बिल भी "बी" कैटेगरी में रख दिया गया।

आपने देखा होगा कि अभी परसों के अखबार में निकला था कि एक आदमी अपने पूरे परिवार के 3 बच्चों सहित, 1 बच्ची 2 साल की दूसरी 5 साल की और तीसरी 9 साल की को भुखमरी के कारण कुएं में लेकर डूब गया। वह अपने पूरे परिवार को खिलाने में असमर्थ था। इस तरह से पूरे देश में हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग भूखे मरते हैं और न उनकी गिनती और न कोई उसकी रिस्पांसिब्लिटी लेता है न सरकार, न एडमिनिस्ट्रेशन और न ही कोई लोकल बाडी इस तरफ ध्यान देती है। लोग कीड़े-मकोड़े की तरह इस हिन्दुस्तान में मर रहे हैं।

इसलिये मैंने यह बिल रखा था कि भुखमरी शुद्ध है, आगे आने वाले दिनों में कितने लोग भूख से मरेंगे इसका ठिकाना नहीं। लोग भूख समरते रहे हैं, मर रहे हैं और मरते जायेंगे। एक तरफ सरकार का अरबों रुपया पानी में बह रहा है, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं और दूसरी तरफ लोग हिन्दुस्तान में भूख से मर रहे हैं। यह हिन्दुस्तान के लिये शर्म की बात है।

मेरे इस बिल को भी "बी" कैटेगरी में रख दिया गया। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार कीजिये और इसको भी "ए" कैटेगरी में रखिये। इसे कमेटी के पुनर्विचार के लिये फिर से वापिस भेजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत यदि कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने बिल के बारे में डीटेल में बात कही है। मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में जाना आवश्यक नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पक्षपात की दृष्टि से काम नहीं किया है। हमारी समिति, जिसके अध्यक्ष आप हैं, इस सदन की बनाई हुई बाडी है और उसकी एक माइक्रो-स्पोकि रिप्रेजेन्टेटिव बाडी हैं। उसके द्वारा माननीय सदस्य को मौका दिया गया, दूसरे सदस्यों को भी मौका दिया गया, उनसे बातचीत हुई, उनको सुना। उसके बाद हमने कोई पक्षपात नहीं किया। हमारे सामने छः विधेयक थे, जिनमें से ज्यादातर कांस्टीट्यशन की एमेंडमेंट से सम्बन्धित थे। उन सब को बी श्रेणी दी गई और दो दो घंटे का समय दिया गया।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन सर्वोपरि है, सदन हमारा मालिक है। वह कोई भी निर्णय ले सकता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के प्रस्ताव को एनकरेज किया गया, तो परिणाम यह होगा कि इस समिति की कनवेन्शन्ज और ट्रेडीशन्ज खत्म हो जायेंगी। अगर हम ने एक बिल के बारे में अलग से निर्णय किया, तो यह दूसरे छः प्रभारी माननीय सदस्यों के प्रति असमानता और भेदभाव का बर्ताव होगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह समिति इस बारे में फिर विचार कर सकती है, लेकिन अगले सत्र के लिए। इस सत्र में करने से परम्परा टूट जायेंगी।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि यह एक नई परिपाटी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 नवम्बर, 1970 को इस हाउस ने ऐसा ही संशोधन अडाप्ट किया था और श्री मधु लिमये के बिल को रीकनसिडर करने के लिए भेजा था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER; The question is:

"That in the motion—

add at the end—

"subject to the modification that the question of classification of (i) the Constitution (Amendment) Bill, 1980 (Substitution of article 341) and (ii) the Starvation Deaths (Precautionary Measures and Responsibilities Bill, 1980 by Shri Ram Vilas Paswan be referred back to the Committee for reconsideration of their recommendation with regard to the said Bills."

*The Lok Sabha divided.*

AYES

**Division No. 7]**

**[15.47 hrs.**

Barman, Shri Palas
Choubey, Shri Narain
*Dandavate, Prof. Madhu
Hansda, Shir Motilal
Mhalgi, Shri R. K.
Pradhan, Shri Amar Roy

*Wrongly voted for Ayes:

Tirkey, Shri Pius
*Varma, Shri Jai Ram
Verma, Shri Raghunath Singh
Zaina. Abedin, Shri

NOES

Anthony, Shri Frank
Barrow, Shri A. E. T.
Behera, Shri Rasabehari
Bhagwan Dev, Shri
Bhatia, Shri R. L.
Bheekhabhai, Shri
Brar, Shrimati Gurbinder Kaur
Choudhari, Shrimati Usha Prakash
Dabhi. Shri Ajitsinh
Daga, Shri Mool Chand
Dalbir Singh, Shri
Dennis, Shri N.
Dhandapani Shri C. T.
Digvijay Sinh, Shri
Era Mohan, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gehlot, Shri Ashok
Ghufran Azam Shri
Gomango, Shri Giridhar
Jamilur Rahman, Shri
Jitendra Prasad, Shri
Kaushal, Shri Jagan Nath
Kidwai, Shrimati Mohsina
Krishnan, Shri G. Y.
Lakkappa, Shri K.
Mahajan, Shri Y. S.
Mallu, Shri A. R.
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murthy, Shri M. V. Chandrashekara
Naikar, Shri D. K.
Nair, Shri B. K.
Netam, Shri Arvind
Pandey, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Parmar, Shri Hiralal R.
Patel, Shri Ahmed Mohammed
Patil, Shri A. T.
Patil, Shri Balasaheb Vikhe
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri Uttamrao
Patil, Shri Veerendra
Pradhani, Shri K.
Quadri, Shri S. T.
Rahim, Shri A. A.
Rai, Shrimati Sahodrabai
Ramamurthy, Shri K.
Rane Shrimati Sanyogita
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rathod, Shri Uttam
Rawat, Shri Harish Chandra Singh
Reddi, Shri G. S.
Scindia, Shri Madhav Rao
Sharma, Shri Mundar
Sharma, Shri Nawal Kishore
Shastri, Shri Dharam Dass
Singh, Shri C. P. N.
Tewary, Prof. K. K.
Tiwari, Shri Ramgopal
Varma, Shri Ravindra
Venkatasubbaiah, Shri P.
*Verma, Shri R. L. P.

*Wrongly voted for Ayes.

*Wrongly voted for NOES.

Vir Vhadra Singh, Shri

Vyas, Shri Girdhari Lal

Zainul Basher, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is:

AYES: 10

NOES: 66

*The motion was negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 23rd July, 1980."

*The motion was adopted.*

---

**15.49 hrs.**

## DELIMITATION OF CANTONMENT (RANIKHET) BILL

SHRI HARISH CHANDRA SINGH RAWAT (Almora): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the delimitation of cantonment at Ranikhet.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the delimitation of cantonment at Ranikhet."

*The motion was adopted.*

SHRI HARISH CHANDRA SINGH RAWAT: I introduce the Bill.

**15. 49 hrs.**

## INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Setcions 53, 118 etc.)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code."

*The motion was adopted.*

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I introduce the Bill.

---

*The following Members also recor ded their votes:

AYES: Sarvashri Daya Ram Shakya, Sanat Kumar Mandal, Syed Musadal Hossain, Ram Vilas Paswan, Ram Kinkar, Prof. Ajit Kumar Mehta and Shri R. L. P. Verma.

NOES: Sarvashri Sunder Singh, Kali Charan Sharma, Babu Lal Solanki, Moti Lal Singh, Chakradhari Singh, Paras Ram Bhardwaj, Laxman Karma, S. B. Chavan, Bhiku Ram Jain, P. Rajagopal Naidu, Rajinder Singh Sparrow, Prof. Satya Deo Singh, Sarvashri Jaideep Singh, Ram Pyare Panika, Harihar Soren, Bansi Lal, Pratap Bhanu Sharma, K. B. S. Mani, Banwari Lal Bairwa, Virdhi Chand Jain, G. S. Nihalsinghwala, Manphool Singh Chaudhry, Birbal Ratansinh Rajda, T. Nagaratnam, Dr. V. Kolandaivelu, Sarvashri Subhash Yadav, Jai Ram Varma and Prof. Madhu Dandavate.